



CAPAA

WASHINGTON STATE COMMISSION ON
ASIAN PACIFIC
AMERICAN AFFAIRS

एशियाई प्रशांत महासागरीय अमेरिकियों के मामलों का
वाॅशिंगटन राज्य आयोग

एशियाई प्रशांत महासागरीय अमेरिकियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए तत्पर

एशियाई व प्रशांत महासागरीय अमेरिकियों का आयोग
१२ कमिश्नरों का एक सलाहकारी बोर्ड, गवर्नर द्वारा
नियुक्त, वाशिंगटन के विविध एशियन व प्रशांत
महासागरीय अमेरिकी समुदायों की नुमाइंदगी करने के
लिए एक राज्य एजेंसी है।

हमारी भूमिका

हमारा लक्ष्य वाॅशिंगटन राज्य में एशियाई व प्रशांत महासागरीय अमेरिकियों के जीवन स्तर को सुधारना है। हम समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने समुदायों और राज्य के नेतृत्वकर्ताओं के साथ काम करते हैं और हम सकारात्मक बदलाव लाते हैं एवं दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत करते हैं। हमारे कर्मचारी एवं कमिश्नर:

- यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य सरकार समुदाय की समस्याओं पर ध्यान दे।
- समुदायों को उन कानूनों एवं नीतियों के बारे में जानकारी देते हैं जो उनके कल्याण को प्रभावित कर सकती हैं।
- उन नीतियों एवं सेवाओं की वकालत करते हैं जो हमारे समुदायों की अभिन्न आवश्यकताओं का समर्थन करती हैं।

मुख्य क्षेत्र

- **नागरिक अधिकार एवं न्याय:** अप्रवासी एवं शर्णाथियों के लिए न्याय सहित प्रजातीय समानता एवं नागरिक अधिकारों की वकालत करना।
- **शिक्षा:** ऐसी कार्यनीतियां बनाना जिससे विविधता एवं पारस्परिक सम्मान को महत्व देने वाली शिक्षा प्रत्येक बच्चे को समान रूप से मिल सके।
- **स्वास्थ्य एवं मानवीय सेवाएं:** गुणवत्तापूर्ण, वहनीय, अरु सांस्कृतिक रूप से उचित स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाओं तक पहुंच सुधारने के लिए समाधानों को बढ़ावा देना।
- **आर्थिक विकास:** उद्यमिता एवं कार्यबल में सहभागिता करने के लिए अवसर बढ़ाना।



कमिश्नर

कमिश्नरों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और वे प्रतिवर्ष आयोग की पांच बैठकों में शामिल होते हैं। वे अपने समुदाय से संबंध जोड़ते हैं और समुदायिक बैठकें आयोजित करके, गठबंधनों का समर्थन करके, समितियों में सेवा करके, समस्याओं की पड़ताल करके और निर्णय लेने वालों को सलाह दे करके वे समाधान निकालने के लिए कार्य करते हैं।

हमारा इतिहास

एशियाई व प्रशांत महासागरीय अमेरिकियों ने हमारे पूरे राज्य एवं राष्ट्र के इतिहास में भेदभाव का अनुभव किया है व अभी भी सरकारी सेवाओं को पाने के लिए बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी स्थापना समुदाय के कार्यकर्ताओं द्वारा 1972 में की गई थी। विधानमंडल द्वारा इसे 1974 में कानूनी मान्यता प्रदान की गई। CAPAA ने हमारे समुदायों के सहयोग से पक्षसमर्थन, सामुदायिक शिक्षा, पहुंच तथा सहकार्य में सुधार के लिए कर्मठतापूर्वक कार्य किया है।

शामिल होने का तरीका

- समस्याओं पर चर्चा करने के लिए कमिश्नर से मिलें।
- कमीशन बोर्ड की बैठक में शामिल हों।
- कमिश्नर के तौर पर सेवाएं देने के लिए आवेदन दें।
- हमारे ईमेल न्यूजलैटर (समाचार पत्र) के लिए हमारे वैब साईट द्वारा निवेदन (साईन अप) करें।

हमसे संपर्क करें



CAPAA.WA.GOV



CAPAA@CAPAA.WA.GOV



360.725.5667



FACEBOOK.COM/WACAPAA